

# राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर

## प्रेस-विज्ञप्ति

क्रमांक : एफ.6( )विविध/परीक्षा 'घ' /व0अ0 (माशि)/काउंसलिंग/2022/21

दिनांक : 16.08.2023

वरिष्ठ अध्यापक प्रतियोगी परीक्षा-2022 विषय-गणित, विज्ञान एवं पंजाबी के अभ्यर्थियों की पात्रता की जांच हेतु आयोग द्वारा विचारित सूची क्रमशः दिनांक 02.08.2023, 04.08.2023 एवं 08.08.2023 को जारी कर दी गई हैं। शेष विषयों की विचारित सूची जारी करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। उक्त विचारित सूचियों में सम्मिलित अभ्यर्थियों के विस्तृत आवेदन पत्रों की जांच आयोग द्वारा आयोजित काउंसलिंग के माध्यम से दिनांक 23.08.2023 से 31.08.2023 तक राजस्थान लोक सेवा आयोग, घूघरा घाटी, अजमेर (राज0) परिसर में आयोजित की जावेगी। पात्रता जांच उपरान्त अन्तिम परिणाम जारी किया जावेगा।

काउंसलिंग कार्यक्रम, विस्तृत आवेदन पत्रों के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश, काउंसलिंग पत्र व अन्य प्रपत्रादि आयोग की वेबसाइट <http://rpsc.rajasthan.gov.in> पर जारी किये जा रहे हैं, जिन्हें अभ्यर्थी संबंधित विषय की काउंसलिंग दिनांक से 07 दिवस पूर्व आयोग की वेबसाइट पर जारी किये काउंसलिंग कार्यक्रम के प्रेस नोट में अंकित अनुसार डाउनलोड कर भरे हुए विस्तृत आवेदन पत्र की दो प्रतियों मय स्वप्रमाणित दस्तावेजों की एक प्रति व मूल दस्तावेजों के साथ निर्धारित दिनांक एवं समय पर अभ्यर्थी व्यक्तिशः काउंसलिंग हेतु उपस्थित हों। इस हेतु अभ्यर्थियों को आयोग द्वारा पृथक से कोई ऑफलाइन पत्र जारी नहीं किया जायेगा।

काउंसलिंग हेतु अभ्यर्थी निर्धारित समय पर आयोग परिसर में काउंसलिंग स्थल पर उपस्थित हों अन्यथा निर्धारित दिनांक एवं समय पर काउंसलिंग में उपस्थित नहीं होने पर अभ्यर्थी को काउंसलिंग से वंचित कर दिया जायेगा, इस हेतु अन्य कोई अवसर देय नहीं होगा। काउंसलिंग में अनुपस्थित रहे अभ्यर्थी अन्तिम परिणाम हेतु विचारित नहीं किये जाएंगे जिसकी जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। काउंसलिंग में शामिल अभ्यर्थियों को आयोग द्वारा कोई यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता देय नहीं होगा।

ग्रुप ए एवं ग्रुप बी के विषयों की विचारित सूची जारी होने पर उनकी काउंसलिंग संबंधी प्रेस नोट आयोग की वेबसाइट पर यथा समय अपलोड कर दिया जायेगा। इस संबंध में आयोग द्वारा पृथक से कोई प्रेस विज्ञप्ति जारी नहीं की जायेगी। अभ्यर्थी कृपया समय समय पर आयोग की वेबसाइट का अवलोकन करते रहे।

(रामनिवास मेहता )  
सचिव